



विषय-सूची

खंड	विवरण	पृष्ठ संख्या
भाग I		
खंड I	पात्रता मानदंड	
खंड II	ई-टेंडरिंग के लिए अनुदेश	
खंड III	निविदा का प्रपत्र	
धारा IV	निविदाकर्ताओं और विशेष शर्तों के लिए सामान्य निर्देश	
खंड V	यहां पहले उल्लिखित शर्तें	
खंड VI	तकनीकी विनिर्देश	
खंड VII	सुरक्षा कोड	
खंड VIII	मात्रा की बिना कीमत वाली अनुसूची	
अनुलग्नक I	वाणिज्यिक चेकलिस्ट (भाग I के साथ भरा और प्रस्तुत किया जाना है)	
अनुलग्नक II	सामग्री के मेक की स्वीकृत सूची	
अनुलग्नक III	ग्राहकों की सूची के लिए प्रोफार्मा	
अनुलग्नक IV	करारनामा	
अनुलग्नक V	ग्राहक का प्रमाणपत्र और ठेकेदार का प्रदर्शन	
अनुलग्नक VI	बैंकों के प्रमाणपत्र का प्रारूप	
अनुलग्नक VII	फर्म की सेवा व्यवस्था का विवरण	
अनुलग्नक VIII	कार्य को समझने के लिए निविदाकर्ता द्वारा साइट के दौरे के संबंध में अंडरटेकिंग	
भाग - II (मूल्य बोली)		

भारतीय रिज़र्व बैंक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
भुवनेश्वर

भाग-I/तकनीकी-वाणिज्यिक बोली

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर में दूसरी मंजिल पर स्विच सह सर्वर रूम से वर्कस्टेशन तक आई/ओ पोर्ट के साथ लैन केबल बिछाना

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/अन्य/1/26-27/ईटी/225

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: - 14 अगस्त 2026 को 15:00 बजे तक

निविदाकर्ता का नाम /पता _____

(a)	फर्म की संरचना	ठेकेदारों की फर्म की संरचना का पूरा विवरण (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति हो, या साझेदारी फर्म हो, या एक कंपनी आदि) को आर्टिकल ऑफ असोसिएशन/पावर ऑफ अटॉर्नी/अन्य प्रासंगिक दस्तावेज के भागीदार की प्रति के नाम(मों) और पते(तों) के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
(b)	कार्य का अनुभव और निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों को पूरा करना	अर्हक कार्यों के लिए विस्तृत कार्य आदेशों की प्रतियां जो प्रदान करने की तारीख, प्रदान किए गए कार्य का मूल्य, कार्य को पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि दर्शाते हैं और इसी तरह के कार्यों के पूरा होने की वास्तविक तारीख और वास्तविक मूल्य को दर्शाने वाले संबंधित पूर्णता प्रमाणपत्र कार्य अनुभव के प्रमाण में संलग्न किए जाने चाहिए। किसी भी केंद्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार्य करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण, भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(c)	योग्य कार्य के लिए ग्राहक प्रमाणपत्र	अपने ग्राहकों से संविदा-V में प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा जिनके लिए उन्होंने ऊपर बताए गए पात्रता (पूर्व-अर्हता) मानदंडों के अनुसार 'पात्र कार्य' किए हैं।
(d)	ठेकेदार की ऋण पात्रता और निर्दिष्ट अवधि के दौरान उनका कारोबार	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित ठेकेदार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों के साथ आयकर निकासी प्रमाण पत्र/आयकर निर्धारण आदेशों की प्रतियां पिछले तीन वर्षों के लिए उनकी ऋण पात्रता और कारोबार के प्रमाण में अपलोड की जानी चाहिए।
(e)	बैंकों और उनके वर्तमान संपर्क कार्यपालकों के नाम और पते	संपर्क अधिकारियों के नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर, आदि जैसे पूरे विवरण के साथ उनके बैंकों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी (यानी वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा उनके बैंकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है, यदि इसकी आवश्यकता हो) अपलोड किया जाए।
(f)	बैंकों का प्रमाणपत्र	बैंकर का प्रमाण पत्र बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, अनुलग्नक -VI में प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसे जीएम (ओआईसी), भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय को संबोधित किया गया है। साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाणपत्र में बैंक के साथ दर्ज किए गए सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

(g)	बैंक खातों का विवरण	उनके बैंक खातों का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, कब खोला गया आदि, दिया जाना चाहिए।
(h)	ग्राहकों और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	उनके ग्राहकों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी के साथ-साथ पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर, फैक्स नंबर, संपर्क अधिकारियों (यानी वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) आदि को अपलोड किया जाना चाहिए।
(g)	पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण	कार्य (कार्यों) के ग्राहक-वार नाम, कार्य (कार्यों) के निष्पादन के वर्ष, निष्पादित कार्य (कार्यों) की प्रदान की गई लागत और वास्तविक लागत, संविदा (संविदाओं) में निर्धारित समय और कार्य को पूरा करने में लगने वाला वास्तविक समय, नाम और उन अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों का पूर्ण संपर्क-विवरण जिनके अधीन कार्य (कार्यों) को निष्पादित किया गया, अपलोड किया जाना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
भुवनेश्वर

खंड -I

पात्रता मानदंड

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर के दूसरी मंजिल में स्विच सह सर्वर रूम से वर्कस्टेशन तक आई/ओ पोर्ट के साथ लैन केबल बिछाने के लिए दो भागों में निविदा आमंत्रित की गई है। इस कार्य पर 5.05 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसे पूरा किया जाना है। काम को दो चरणों में पूरा किया जाना है: चरण 1: पहले चरण में लैन वायर केबलिंग कार्य आदेश जारी होने के तीसरे दिन से 15 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी और चरण 2: दूसरे चरण में आई/ओ पोर्ट स्थापना और परीक्षण चरण 1 का कार्य पूरा होने के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। कार्य पूरा करने का कुल समय कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 45 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।

वेंडर द्वारा निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए:

1. वेंडर द्वारा निम्नलिखित मूल्यों के समान कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया होना चाहिए:

-

i) तीन कार्य जिनकी प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं हो

या

ii) दो ऐसे कार्य जिनकी प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर से कम न हो।

या

(iii) एक कार्य की लागत जो अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं है पिछले 5 वर्षों के दौरान (31 मार्च 2026 को समाप्त) और

2. पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान वेंडर का न्यूनतम वार्षिक कारोबार 5.05 लाख रुपये होना चाहिए और भुवनेश्वर में सेवा सेट अप रखने वाले ही इस कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत करने के पात्र होंगे।

3. निविदा कर्ताओं को अनिवार्य रूप से बैंक को सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए ताकि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनकी पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्टि हो जाए।
4. बैंक को संतुष्ट करने में निविदा कर्ता की विफलता की स्थिति में; बैंक उनके द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. निविदा के भाग- I में प्रस्तावित कार्य के लिए पात्रता मानदंड और बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों और निविदा कारों के कवरींग लेटर पर सभी आवश्यक दस्तावेज शामिल होंगे। हालांकि, एनईएफटी ट्रांसफर एनईएफटी के रूप में **₹10,100/-** (दस हजार एक सौ रुपये मात्र) का ईएमडी (एनईएफटी के लिए बैंक विवरण खाता नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर; खाता संख्या: **186003001**; आईएफएस कोड: **RBIS0BBPA01** (कृपया आईएफएससी कोड के 5वें और 10वें अक्षर को "शून्य" के रूप में पढ़ें), (कृपया हमें ईमेल आईडी पर एनईएफटी के माध्यम से भेजे गए ईएमडी जमा का प्रमाण प्रदान करें: ditbhubaneswar@rbi.org.in)
6. पात्र निविदा कर्ताओं का भाग- II (मूल्य बोली) बाद की तारीख को खोला जाएगा जिसके संबंध में निविदा कर्ताओं को अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा।
1. ग्राहक का प्रमाणपत्र केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब उस पर किसी सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंध में कार्यकारी अभियंता/अधीक्षक अभियंता या समकक्ष रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों और केवल तभी जब वह ठेकेदार द्वारा उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राप्त भुगतान के पर्याप्त प्रमाण द्वारा समर्थित हों। निजी संगठनों द्वारा जारी ग्राहक का प्रमाणपत्र स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्रों के साथ भी होगा। उपरोक्त प्रमाणपत्र के बिना प्राप्त आवेदनों / निविदाओं को अस्वीकार किया जा सकता है। बैंक को इन प्रमाणपत्रों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का अधिकार होगा।

बैंक निविदाओं की मूल्य बोली के मूल्यांकन से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी निविदा कर्ता को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त उसकी निष्पादन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-I को खोलने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

2. बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक के पास बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

स्थान: भुवनेश्वर

दिनांक:

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

भारतीय रिज़र्व बैंक

ई-टेंडरिंग के लिए अनुदेश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर का एक ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने से पहले निविदा आमंत्रित करने की सूचना और बाद में शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, में दिए गए नियमों और शर्तों को पढ़ें और समझें। जो बोलीदाता दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करते हैं, वे मूल्य बोली खोलने के लिए निविदा में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

1.	ई-निविदा की प्रक्रिया: पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ बोलीदाता का पंजीकरण शामिल है जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, बोलीदाता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। बोलीदाता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) होना चाहिए। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी की वैधता सुनिश्चित करें। बोलीदाताओं को इंटरनेट से जुड़ी पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी/आरबीआई भुवनेश्वर ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)। विशेष नोट: तकनीकी (तकनीकी वाणिज्यिक) बोली और मूल्य बोली https://mstcecommerce.com/eproc/ (संस्करण 3) पर ऑनलाइन सबमिट की जानी है। 1. बोलीदाताओं को https://mstcecommerce.com/eproc/ पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। 2. वेंडर के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरना और स्वयं की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएँ - सबमिट करें। अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/वीडियो/पंजीकरण पर जाएं। 3. बोलीदाताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनित ईमेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई, भुवनेश्वर (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) से संपर्क करें।
----	---

बोलीदाताओं के लिए संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (बोलीदाताओं के लिए)

फोन नंबर: +91- 7969066600

helpdeskho@mstcindia.in (कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)

उपलब्धता

सभी तकनीकी मुद्दों, ई-टेंडर, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

नाम	ईमेल आईडी	मोबाइल नंबर
श्री महेश रामावत	rmahesh@mstcindia.co.in	8801281004

श्री टीडीएमवी सत्यसाई	tsatyasai@mstcindia.co.in	6370350776
हेल्प डेस्क/ऑफिस	helpdesk@mstcindia.co.in	0674-2544199/ 2950091

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, भुवनेश्वर):

नाम	ईमेल आईडी	मोबाइल नंबर
श्री दिलीप कुमार साहू, एएम	dksahu@rbi.org.in	9658064542
सुश्री सुलग्ना घोष, एजीएम	sulagnaghosh@rbi.org.in	9163619900

क) सिस्टम आवश्यकताएँ:

- 1) विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम
- 2) आईई-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र।
- 3) हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
- 4) नवीनतम अद्यतन जेआरई 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ़्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है।

डीएससी के लिए "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट होने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

टूल्स = > इंटरनेट विकल्प = > सुरक्षा = > यदि सक्षम किया गया है तो संरक्षित मोड अक्षम करें- यानी "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करते हुए टिक बॉक्स से टिक निकालें।

अन्य सेटिंग्स:

टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" => अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूं" सक्रिय करें।

सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए और टूल्स→इंटरनेट विकल्प→कस्टम स्तर के तहत 'पॉप अप अवरोधक का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया एक बार www.mstcecommerce.com पृष्ठ से आईई सेटिंग्स चलाएं)

2.	क) धारा IV में दर्शाए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी बोलीदाताओं को निविदा के साथ उसके समर्थन में खंड VI में दर्शाए गए दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है। केवल ऐसे बोलीदाता (बोलीदाताओं) को बोली प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए सूचित किया जाएगा। ख) भाग-I तकनीकी (तकनीकी-वाणिज्यिक) बोली एनआईटी में दी गई निर्दिष्ट तारीख और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। भाग-II मूल्य बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं से इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर को तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाताओं को उनके द्वारा पुष्टि की गई वैध ई-मेल के माध्यम से भाग-II मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी। नोट: बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी सर्वोत्तम संभव दरों की पेशकश करें। आम तौर पर कोई समझौता वार्ता नहीं होगी। इसलिए, बोलीदाता मूल्य बोली जमा करते समय सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें प्रस्तुत करने पर ध्यान दें। तथापि, यदि मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम बोली/दर उचित प्रतीत होती है, तो ऑर्डर निम्नतम बोलीदाता को दिया जा सकता है और यदि बोली/दर को अभी भी उच्च माना जाता है, तो प्रचलित अनुदेश/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ग) निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।
3.	लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट: बोलीदाताओं को अपने लॉगिन के ज़रिए "बिड फ्लोर" में किसी खास निविदा के लिए "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का इस्तेमाल करके या "इवेंट कैटलॉग" में "भुगतान लेनदेन शुल्क" के ज़रिए ट्रांज़ैक्शन फ़्रीस का भुगतान करना होगा।

सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर बिना किसी बदलाव के चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता/ठेकेदार/वेंडर के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/ नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाने के बाद, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा।

लेन-देन शुल्क **रिफ़ंडेबल नहीं** है।

नोट: बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेन-देन शुल्क को अग्रिम रूप से जमा कर दें ताकि बोली प्रस्तुत करने के लिए खुद को पर्याप्त समय दे सके। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे बैंक में नकदी जमा न करें क्योंकि इस तरह के नकद लेनदेन के प्रेषक के विवरण का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि लेनदेन शुल्क केवल बोलीदाता के खाते में डेबिट करके जमा किया जाना चाहिए; किसी अन्य पक्ष के खाते से या डेबिट करके जमा किया गया लेनदेन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

किसी भी कारण से लेनदेन शुल्क का भुगतान करने में विफलता के मामले में, वेंडर के पास ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।

4. क) बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे एनआईटी में दी गई सूचना के अनुसार ईएमडी का विप्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर को करें।
- ख) बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए माई मेनू में अपलोड दस्तावेज़ लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम साइज़ 5 एमबी है।
- ग) एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, बोलीदाता निविदा के सामने अटैच डॉक्यूमेंट लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी भी निविदा से संलग्न नहीं हैं, तो इसे आरबीआई भुवनेश्वर द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है और यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया वेंडर गाइड के निर्देशों का पालन करें।

5.	आरबीआई, भुवनेश्वर के साथ-साथ एमएसटीसी (ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर) द्वारा निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता(ओं) को सभी नोटिस और पत्राचार केवल ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे। इसलिए बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रदान किया गया उनका ईमेल पता एमएसटीसी (यानी सेवा प्रदाता) के साथ वेंडर के पंजीकरण के चरण में वैध और अद्यतन है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।
6.	क) कृपया ध्यान दें कि एनआईटी में उल्लिखित वेब साइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने वाले पक्षों की सूची निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा खुलने की नियत तारीख से पहले एक बार फिर से वेबसाइट देख लें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्होंने निविदा डाउनलोड करने के बाद उक्त निविदा के लिए अपलोड किए गए किसी भी शुद्धिपत्र को छोड़ा नहीं है। संबंधित शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को डाउनलोड करने की जिम्मेदारी केवल बोलीदाताओं की होगी। ख) इस एनआईटी के शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के संबंध में कोई अलग सूचना उन बोलीदाताओं को नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेब साइट से दस्तावेज डाउनलोड किए हैं। कृपया वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprocn/ एमएसटीसी लिमिटेड देखें।
7.	एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा तक नहीं पहुंचा जा सकता है (निविदा आमंत्रित करने की सूचना)।

8.

ई-निविदा में बोली:

क) बोलीदाता(ओं) को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क अलग से जमा/प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। लेनदेन शुल्क रिफंडेबल नहीं है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। कार्य सौंपे जाने के तुरंत बाद असफल बोलीदाता(ओं) के ईएमडी को भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

ख) इस प्रक्रिया में तकनीकी (तकनीकी-वाणिज्यिक) बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

ग) ₹10,100/- (रुपये दस हजार एक सौ मात्र) की राशि के लिए बयाना जमा-राशि (ईएमडी) भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर खाता संख्या 186003001 और आईएफएससी कोड: RBIS0BBPA01 के पक्ष में जमा की जाएगी। (कृपया एनईएफटी लेनदेन टिप्पणियों में अपनी कंपनी के नाम का उल्लेख करें। 14 अगस्त, 2026 को या उससे पहले 15:00 बजे तक ऑनलाइन भुगतान/एनईएफटी के रूप में

एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान के लिए खाते का विवरण इस प्रकार है:

लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर

आईएफएससी: RBIS0BBPA01(0 को शून्य के रूप में पढ़ा जाए)

खाता संख्या: 186003001

टिप्पणियाँ: डीआईटी - ईएमडी

लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण एमएसटीसी की वेबसाइट पर संलग्न/अपलोड किया जाएगा।

बोलीदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि वे लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण ditbhubaneswar@rbi.org.in को भेजें

घ) जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → न्यू कॉमन पोर्टल → बिड फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क → सामान्य शर्तें-

>दस्तावेज़ संलग्न करें->मूल्य बोली

ड) बोलीदाता को जोखिम स्वीकार करके और रन पर क्लिक करके enApple नामक एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह अभ्यास बिड प्लोर पर पहुंचने के तुरंत बाद दो बार करना पड़ता है। यदि यह आवेदन नहीं चलता है तो बोलीदाता अपनी बोली को सहेजने/प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होगा। (विवरण के लिए बोलीदाता गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें)।

च) सबसे पहले, बोलीदाता को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो, को भरना होगा और इसे सेव करना होगा। फिर बोलीदाता को तकनीकी (तकनीकी-वाणिज्यिक) बोली भरनी होगी। तकनीकी (तकनीकी-वाणिज्यिक) बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी (तकनीकी-वाणिज्यिक) बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। एक बार ऐसा करने के बाद, 'मूल्य बोली' लिंक सक्रिय हो जाता है, जिसे भरना होगा और फिर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना होगा। एक बार

तकनीकी (तकनीकी-वाणिज्यिक) बोली और मूल्य बोली दोनों को 'सेव' कर लिया गया तो, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

नोट: - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद दो और विकल्प दिखाई देंगे, "बोली वापस लें" और "बोली हटाएं"। यदि बोलीदाता अपनी बोली स्थायी रूप से वापस लेना चाहता है तो उन्हें बोली वापस लेने के लिंक पर क्लिक करना चाहिए। वह फिर से बोली नहीं लगा पाएगा। यदि बोलीदाता अंतिम सबमिशन के बाद बोली को हटाना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो उसे बोली हटाएं पर क्लिक करना चाहिए और उसे फिर से सबमिट करना चाहिए और फिर से अंतिम सबमिशन पर क्लिक करना चाहिए।

छ) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

ज) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

झ) ई-निविदा का काम पूर्व घोषित तारीख और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

ञ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बनाएगी। ऐसे सफल बोलीदाता को इसके बाद **आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार** कहा जाएगा।

ट) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ठ) बैंक के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए।

ड) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा में बोली प्रस्तुत करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।

ढ) बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या वापस लेने या पूर्ण या आंशिक रूप से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए के।

ण) माप की इकाई (यूओएम) ई-निविदा फ्लोर में दर्शाई गई है। प्रस्तुत की जाने वाली दर ई-निविदा फ्लोर/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

9.	क) इस खुली ई-निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा। ख) तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के विचलन की अनुमति नहीं है। ग) भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली (निविदाओं) की प्राप्ति की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है। घ) ऑनलाइन निविदा एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट- https://www.mstcecommerce.com/eprocn पर दिए गए नियमों, शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही जमा की जानी चाहिए। ड) बोलीदाताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अपलोड किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा जो एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है। च) बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा।
----	--

छ) बोलीदाता (ओं) द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा दी गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं) की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। डिफॉल्टर बोलीदाताओं के खिलाफ निलंबन, काली सूची में डालने और कारोबार पर प्रतिबंध लगाने सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

ज) उक्त निविदा के लिए सभी ई-निविदा एं एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल पर केवल 14 अगस्त 2026 को सुबह 15:00 बजे तक ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए।

झ) चूंकि यह एक ई-टेंडरिंग प्रक्रिया है, इसलिए डाक के माध्यम से भौतिक रूप में भेजी गई या किसी भी कोटेशन बॉक्स में जमा की गई निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। इसी तरह, फैक्स या ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। समय-सीमा की समाप्ति के बाद ऑनलाइन प्राप्त किसी भी निविदा पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
भुवनेश्वर

खंड -III: निविदा का रूप

[‘निविदा का प्रपत्र’ पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप में) विधिवत भरी हुई, निविदा के साथ अपलोड की जाएगी]

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

भारतीय रिज़र्व बैंक

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

भुवनेश्वर

प्रिय महोदय

इसके बाद ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, रेखाचित्रों, डिजाइनों और मात्रा-अनुसूची की जांच करने और निविदा को प्रभावित करने वाले के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा और जांच करने के बाद, हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों की आपूर्ति और निष्पादन की पेशकश करते हैं, समय ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, मात्रा की संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों और अनुदेशों के साथ लिखित रूप में निविदा की शर्तों में संदर्भित किया गया है, ‘करार, विशेष शर्तें, मात्रा की अनुसूची और निविदा की शर्तें’ का आर्टिकल और ऐसी सामग्री के साथ जो हमारे द्वारा प्रदान की जाती हैं, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

ज्ञापन

क)	कार्यों का विवरण	बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल में स्विच सह सर्वर रूम से वर्कस्टेशन तक आई/ओ पोर्ट के साथ लैन केबल बिछाना।
ख)	अनुमानित लागत	₹5.05 लाख
ग)	बयाना राशि	₹10,100/- (दस हजार एक सौ रुपये मात्र)
घ)	प्रतिधारण धन	निष्पादित मूल्य/बिल का 5% काट लिया जाएगा और पूर्णता प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य पूरा होने की तारीख से 1 वर्ष तक प्रतिधारित रखा जाएगा
ड)	कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय	<u>कार्य को दो चरणों में पूरा किया जाना है: चरण 1 : पहले चरण में लैन वायर केबलिंग कार्य आदेश जारी होने के तीसरे दिन से 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए और चरण 2: दूसरे चरण में I/O पोर्ट स्थापना और परीक्षण चरण 1 का कार्य पूरा होने के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। कार्य को पूरा करने का कुल समय कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 45 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए</u>

- हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा **के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी** और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमति से हो सकती है।
- यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इसके एतद्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और ऐसा न करने की स्थिति में, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या समनुदेशितियों (असाइनियों) या नामांकित व्यक्तियों को ऐसी रकम जप्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं जो निविदा की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।

4. मैं/हम समझते हैं कि आप किसी भी या सभी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, इसके लिए कोई कारण बताए बिना। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बयाना राशि के रूप में 10,100/- रुपये जमा किए हैं, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यदि हम ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर संविदा को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

2. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी, जो निम्नानुसार है:

- भाग I में ईएमडी और सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें और तकनीकी विवरण होंगे।
- भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में मूल्य बोली होगी।

दिनांक: _____ 2026 का ____ दिन

मेसर्स के लिए और उनकी ओर से

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

तारीख _____

गवाह

1) हस्ताक्षर

नाम, पता और तारीख के साथ

2) हस्ताक्षर

नाम, पता और तारीख के साथ

खंड- IV

निविदा कर्ताओं और विशेष शर्तों के लिए सामान्य अनुदेश

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर में स्विच सह सर्वर रूम से वर्कस्टेशन तक आई/ओ पोर्ट के साथ लैन केबल बिछाने के लिए निविदा । जिन वेंडरओं के पास कार्यालय भवनों/वाणिज्यिक परिसरों/औद्योगिक घरानों के लिए इसी तरह के कार्य करने के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव है और जिन्होंने पिछले 5 वर्षों (31 मार्च 2026 को समाप्त) के दौरान व्यक्तिगत रूप से निम्नानुसार समान कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है

1. वेंडर द्वारा मूल्यों के समान कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया होना चाहिए: -

क) तीन कार्य जिनकी प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं हो

या

ख) दो ऐसे कार्य जिनकी प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर से कम न हो।

या

ग) एक कार्य की लागत जो अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं है पिछले 5 वर्षों के दौरान (31 मार्च 2026 को समाप्त)

और

घ) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का 100% का न्यूनतम वार्षिक कारोबार लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित हो।

और

ड) बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए भुवनेश्वर में एक सेवा सेट हो।

केवल निविदा कर्ता जो उपरोक्त के रूप में अर्हता प्राप्त हैं, वे ही कार्य के लिए निविदा के पात्र होंगे। किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत कोई निविदा जो उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करती पाई जाती है, उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

2. प्री-बिड मीटिंग

निविदा के बारे में कुछ भी चर्चा/स्पष्टीकरण के लिए 04 अगस्त 2026 को 11:00 बजे सम्मेलन कक्ष, तीसरी मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर-751001 में एक बोली-पूर्व बैठक (ऑफलाइन) आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। सभी इच्छुक निविदा कर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उपस्थित रहें और निविदा दस्तावेजों को देखें।

- 3. निविदा कर्ताओं को पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण, ग्राहकों के नाम और संपर्क नंबर सहित, संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक V) में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 4. निविदाएं दो भागों में प्रस्तुत की जाएंगी, अर्थात् भाग I जिसमें प्रस्ताव का तकनीकी और वाणिज्यिक विवरण होगा और भाग II जिसमें केवल मूल्य होंगे। निविदाएं 14 अगस्त 2026 को दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत की जानी चाहिए। जबकि भाग I उसी दिन के 16:00 बजे ऊपर बताए अनुसार खोला जाएगा, भाग II बाद की तारीख को खोला जाएगा, जिसके बारे में निविदा कर्ताओं को अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा।
- 5. निविदा कर्ताओं को निविदा दस्तावेजों में दी गई सभी प्रासंगिक जानकारी का उपयोग करने हेतु सूचित किया जाता है। मांगी गई सभी जानकारी सर्वांगीण रूप से पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण निविदाएं या आवश्यकताओं का अनुपालन न करने वाली निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं।

6. निविदा की वैधता

निविदाएं निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होंगी।

7. बयाना राशि

निविदा कर्ता एनईएफटी द्वारा ₹10,100/- (दस हजार एक सौ रुपये मात्र) की बयाना राशि का भुगतान करेंगे, जो बैंक को 14 अगस्त 2026 को 15:00 बजे तक निविदा के भाग I के साथ या एनईएफटी के माध्यम से अनुसूचित बैंक पर आहरित भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में स्वीकार्य है। सफल निविदा कर्ता की बयाना जमा राशि वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने पर बिना किसी ब्याज के जारी की जाएगी। असफल निविदा कर्ता की बयाना जमा राशि उन्हें कार्य सौंपने के बाद बिना किसी ब्याज के जारी की जाएगी। नीचे दिए गए विवरण ईएमडी राशि के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

1	खाताधारक का नाम (जैसा कि बैंक खाते में दिया हो)	
---	---	--

2	खाता संख्या	
3	खाते का प्रकार (बचत, चालू आदि)	
4	पैन नंबर	
5	बैंक का नाम	
6	शाखा का नाम	
7	बैंक का पता	
8	एनईएफटी/आईएफएस कोड	
9	खाते का नाम	
10	जीएसटी नंबर	

8. कोट की गईं दरों में सभी शुल्कों/करों, परिवहन, पैकिंग, अग्रेषण, बीमा, श्रमिकों का मुआवजा, तीसरे पक्ष की देयता आदि शामिल होंगे और साइट पर विधिवत स्थापित और चालू किए गए पूरे कार्य के लिए होंगे। कोट की गईं कीमतें निविदा की पूरी अवधि के लिए दृढ़ रहेंगी और विदेशी मुद्रा में किसी भी बदलाव या किसी अन्य कर, लेवी, शुल्क आदि में आए बदलाव के अधीन नहीं होंगी। बैंक द्वारा कोई आयात लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। निविदा कार कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी हिस्से या घटकों, यदि कोई हो, के आयात के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे।
9. निविदा कर्ताओं को केवल संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार ही कोट करना होगा। मात्रा-अनुसूची संभावित मात्राओं पर आधारित है। व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्रा बिना किसी प्रतिबंध के बढ़ या घट सकती है, जो साइट की स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर केवल बैंक के विवेक पर निर्भर करती है।
10. भारतीय रिज़र्व बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक किसी भी फर्म की निविदा स्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

11. वारंटी/दोष देयता अवधि:

- क) लैन केबलिंग और आई/ओ पोर्ट को सौंपने की तारीख से कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए सभी प्रकार के दोषों से सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। वारंटी अवधि के भीतर पाए जाने वाले किसी भी दोष को बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के निविदा कर्ता द्वारा सुधार/प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- ख) वारंटी अवधि के दौरान, सिस्टम में दोष की सूचना प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर सिस्टम में किसी भी खराबी को ठीक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि 10 दिनों की अवधि के भीतर गलती को ठीक नहीं किया जाता है, तो बैंक को ठेकेदार के जोखिम और लागत पर सिस्टम को सुधारने का अधिकार होगा। खर्च की गई राशि की वसूली बैंक द्वारा धारित प्रतिधारण राशि से की जाएगी।
- ग) यदि सिस्टम में खराबी की सूचना ईमेल/टेलीफोन कॉल/टेक्स्ट के माध्यम से प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर खराब सिस्टम की मरम्मत/बदली नहीं की जाती है, तो प्रति दिन प्रति खराबी की घटना के लिए ₹500/- का जुर्माना लगाया जाएगा और यह राशि प्रतिधारण राशि जमा से वसूल की जाएगी।
- घ) बैंक के इंजीनियर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सेवा रिपोर्ट का एक सेट प्रतिधारण राशि जमा जारी करने के लिए दोष देयता अवधि के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा।
- ङ) सभी प्रकार की उपभोग्य सामग्रियों को पूरी वारंटी अवधि के लिए काम के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

12. सेवा सुविधा:

निविदा कर्ता अनुलग्नक -VII के अनुसार संपर्क नंबरों के साथ भुवनेश्वर में सेवा केंद्र का विवरण बताएंगे।

13. साइट का दौरा

निविदा कर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे **निविदा** से पहले प्रतिष्ठानों की साइट का दौरा करें और साइट की स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में पुष्टि **निविदा** के भाग I के साथ संलग्न **अनुलग्नक VIII** में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

14. भुगतान की शर्तें:

भुगतान की निम्नलिखित शर्तें, सांविधिक कटौतियों के अधीन, इस संविदा पर लागू होंगी।

- 95% भुगतान कार्य पूरा होने के बाद बिल प्रस्तुत/वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने पर किया जाएगा।

- माल सौंपने की तारीख से 1 वर्ष की दोष दायित्व अवधि पूरी होने पर 5% दिया जाएगा। यह राशि वारंटी अवधि के दौरान मरम्मत / प्रतिस्थापन / आवधिक जांच और काम के निरीक्षण के संबंध में दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिधारण धन के रूप में रखी जाती है।

15. **कार्य का समापन:** यह कार्य सिविल ठेकेदार और विद्युत ठेकेदार के कार्यों के समन्वय में किया जाएगा और बैंक के निर्देशानुसार और आवश्यकतानुसार संबंधित क्षेत्र के लिए एलएएन वेंडर/निविदा कर्ता द्वारा श्रमशक्ति तैनात की जाएगी।

16. पूरा न होने पर नुकसान

कार्य को दो चरणों में पूरा किया जाना है: चरण 1 : पहले चरण में लैन वायर केबलिंग कार्य आदेश जारी होने के तीसरे दिन से 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए और चरण 2: दूसरे चरण में I/O पोर्ट स्थापना और परीक्षण चरण 1 का कार्य पूरा होने के 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। कार्य को पूरा करने का समग्र समय कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 45 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर निर्धारित अवधि से परे विलंब के प्रति सप्ताह संविदा राशि के 0.25% की दर से, संविदा मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन लगाया जाएगा और नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से ऐसे नुकसान की कटौती कर सकता है।

17. बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने को एक बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के एक करार को निष्पादित किया गया है और सभी नियम और शर्तें इस संविदा पर लागू होंगी।

18. बीमा

ठेकेदार को अपने खर्च पर कार्यों का बीमा करवाना है और कार्यों के वास्तविक रूप से पूर्ण होने तक, आग से होने वाली हानि या क्षति के लिए बीमा जारी रखना है। यह बीमा नियोक्ता और ठेकेदार दोनों के संयुक्त नाम पर होना चाहिए (बीमा पॉलिसी में नियोक्ता का नाम यानी आरबीआई का नाम पहले होना चाहिए) और संविदा की पूरी राशि के लिए होना चाहिए। ठेकेदार को कार्य आदेश दिए जाने के 5 दिनों के भीतर ऐसे बीमा की प्रति जमा करनी होगी ऐसी पॉलिसी केवल "नियोक्ता" की संपत्ति को कवर करेगी। यदि ठेकेदार उपरोक्त प्रावधान के अनुसार बीमा कराने में चूक करता है, तो नियोक्ता निर्माण कार्य का बीमा करा सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को ठेकेदार को देय किसी भी राशि, जुर्माने आदि से काट सकता है, या जो ठेकेदार को देय हो सकती है, ऐसे चूक के संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

ठेकेदार बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में उपकरण/सामग्री के निर्माता के काम छोड़ने के समय से लेकर उक्त प्रणाली को बैंक को सौंपने तक **सभी प्रकार के जोखिमों को** कवर करने के लिए अपनी लागत पर काम की अनुमानित लागत के सभी जोखिम बीमा लेगा और यह निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेगा।

- भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग नीति।
- साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा नीति।
- दुर्घटना कवर सहित थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी।

19. अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार - नियोक्ता को अंतिम बिल के भुगतान के समय ठेकेदार के कार्यों और अंतिम बिल की तकनीकी जांच कराने का अधिकार होगा, जिसमें सभी सहायक वाउचर, ऐंस्ट्रैक्ट्स आदि शामिल होंगे। यदि इस जांच के परिणामस्वरूप या अन्यथा, किसी भी राशि को अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाया जाता है, तो नियोक्ता के लिए राशि की वसूली करना वैध होगा।

20. सिस्टम के लिए भुगतान आरबीआई, भुवनेश्वर द्वारा किया जाएगा। इस संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद को भी भुवनेश्वर में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में सुलझाया जाएगा।

21. ठेकेदार निविदा के साथ प्रणाली के सभी तकनीकी विवरण प्रस्तुत करेंगे। निविदा कर्ताओं से अनुरोध है कि वे केवल इस उद्देश्य के लिए संलग्न प्रोफार्मा का उपयोग करें और अपने स्वयं के प्रारूपों और डेटा शीट का उपयोग न करें। हालांकि, यदि वे कोई अतिरिक्त जानकारी/विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे इसे निविदा के भाग I के साथ एक अलग शीट पर प्रस्तुत कर सकते हैं और इसे निविदा का एक भाग बनने वाले अन्य दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं।

22. निविदा कर्ता अपने बैंकरो के नाम और डाक पते देंगे। इसके अलावा, प्रोफार्मा [अनुलग्नक -VI](#) के अनुसार बैंकरो का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।

23. भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर के पास किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

24. सभी विवाद और किसी भी प्रकार के मतभेद, जो भी संविदा से उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने के संबंध में (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या पूरा होने के बाद और चाहे संविदा के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) बैंक द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा जैसा कि

यहां कहा गया है। लेकिन यदि या तो ठेकेदार किसी ऐसे मामले पर असंतुष्ट है, जिस पर बैंक द्वारा उपरोक्त के रूप में निर्णय लिया गया है, किसी भी अपेक्षित मामले को छोड़कर, ठेकेदार इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि विवाद में मामलों पर मध्यस्थता की जाए। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी, जो विवाद या मतभेद में हैं जिनमें से ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र को खोलने और संशोधित करने की शक्ति होगी, राय, निर्णय, मांग या नोटिस, अपवाद के मामलों के संबंध में छोड़कर, पूर्ववर्ती खंड में संदर्भित, और विवाद के सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, संदर्भ में प्रवेश करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर (या पक्षों की सहमति से उनके द्वारा निर्धारित किए गए अतिरिक्त समय के भीतर) अपना निर्णय देंगे। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पार्टियां आपसी रूप से अपने विवाद या अंतर को सुलझाती हैं या समझौता करती हैं, पार्टियों द्वारा निपटान या समझौते का अपना संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, इस तरह के समझौते या समझौते के संदर्भ में एक फैसला देगा।

ऐसे किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और निर्णय से संबंधित लागतों पर निर्णय मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर निर्भर करेगा, जो इसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या इसे पक्षकारों के बीच निर्धारित करने का निर्देश दे सकते हैं, और यह भी निर्देश दे सकते हैं कि इसे किसके द्वारा, किसे और किस तरीके से वहन और भुगतान किया जाएगा।

इस सबमिशन को भारतीय माध्यस्थता अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी सांविधिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जैसा भी मामला हो, पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस बात पर सहमति बनी है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी तत्परता से कार्यों को जारी रखेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय आने तक, जैसा भी मामला हो, बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक निष्पादन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार

एतद्वारा इस बात से भी सहमत हैं कि इस क्लौज़ के तहत मध्यस्थता संविदा के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी।

मैं/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को समझ लिया है और वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम:

पदनाम:

फर्म का नाम और मुहर

खंड V: जिन शर्तों का पहले ज़िक्र किया गया है

संविदा का दायरा	
1	इस कार्य में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर में दूसरी मंजिल पर स्विच सह सर्वर रूम से वर्कस्टेशन तक आई/ओ पोर्ट के साथ लैन केबल बिछाना शामिल है। ठेकेदार को उक्त काम को हर तरह से इस संविदा के अनुसार, तथा नियोक्ता के निर्देशों और उनकी संतुष्टि के अनुरूप पूरा करना होगा। नियोक्ता अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर आगे के चित्र और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।
2	ठेकेदार अपनी लागत पर चित्रों के उद्देश्य और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करेगा, मात्रा की अनुसूची और विनिर्देशों को एक साथ लेकर, चाहे वह विशेष रूप से दिखाया या वर्णित किया जा सकता है या नहीं, बशर्ते कि इससे यथोचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, और यदि ठेकेदार को चित्र में या चित्रों के बीच कोई विसंगति मिलती है, मात्रा और विनिर्देशों की अनुसूची, वह तुरंत और लिखित रूप में इसे बैंक को संदर्भित करेगा, जो यह तय करेगा कि किसका पालन किया जाना है।
विवरण के अनुरूप सामग्री और कारीगरी	
3	सभी सामग्री और कारीगरी अब तक मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में वर्णित संबंधित प्रकार की और नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार होगी, और ठेकेदार नियोक्ता के अनुरोध पर उसे सभी चालान, खाते रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री इसका अनुपालन करती है। ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर किसी भी सामग्री की व्यवस्था करेगा और/या किसी भी परीक्षण को अंजाम देगा जिसकी नियोक्ता को आवश्यकता हो सकती है।
ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर प्रतिनिधि	
4	ठेकेदार कार्यों के निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण देगा, और उसके बाद जब तक नियोक्ता परिशिष्ट में बताए गए "दोष देयता अवधि" की समाप्ति तक आवश्यक मान सकता है। काम चलने के पूरे समय के दौरान, ठेकेदार को एक काबिल प्रतिनिधि भी नियुक्त करना होगा, जो काम के दौरान हमेशा साइट पर मौजूद

	रहेगा। नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए किसी भी निर्देश, स्पष्टीकरण, अनुदेश या नोटिस को ठेकेदार को दिया माना जाएगा।
बैंक के इंजीनियर	
5	बैंक के इंजीनियर शब्द का अर्थ होगा वह व्यक्ति जिसे नियोक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया गया है। ठेकेदार बैंक के इंजीनियर को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्री की जांच और मापने के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। बैंक के इंजीनियर, या नियोक्ता के पास ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को गैर-अनुमोदन या किसी भी काम या सामग्री के लिए नोटिस देने की शक्ति होगी और इस तरह के काम को निलंबित कर दिया जाएगा, या ऐसी सामग्री का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/बैंक के इंजीनियर के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्य की जांच की जाएगी, लेकिन इस तरह की जांच किसी भी तरह से ठेकेदार को किसी भी प्रकार के किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो कार्य के एक चरण में या उसके पूरा होने के बाद मौजूद पाई जा सकती है। इस खंड की सीमाओं के अधीन रहते हुए, ठेकेदार केवल बैंक के इंजीनियर से अनुदेश लेगा।
असाइनमेंट और सब-लेटिंग	
6	संविदा में शामिल सभी काम ठेकेदार को ही करने होंगे। ठेकेदार, नियोक्ता की पहले से लिखित मंजूरी के बिना, संविदा या उसके किसी हिस्से या उसमें अपने किसी अधिकार को सीधे या परोक्ष रूप से किसी और को हस्तांतरित, असाइन या सब-लेट नहीं कर सकता। साथ ही, कोई भी अन्य व्यवस्था ठेकेदार को संविदा की पूरी ज़िम्मेदारी से या काम चलने के दौरान उसकी सक्रिय देखरेख की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी।
मात्रा-अनुसूची	
7	मात्रा-अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, माप की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी। मात्रा की अनुसूची से विवरण या मात्रा में या वस्तुओं की चूक में कोई भी त्रुटि इस संविदा को निरस्त नहीं करेगी, लेकिन इसे ठीक किया जाएगा और जैसा कि इसके क्लॉज़ 16 के तहत निर्धारित किया गया है, संविदा राशि (जैसा भी मामला हो) में जोड़ा

	जाएगा, या काट लिया जाएगा, लेकिन ठेकेदार के 'रेट शेड्यूल' (दरों की सूची) में किसी भी तरह की गलती को ठीक करने की अनुमति नहीं होगी।
मात्रा-अनुसूची की पर्याप्तता	
8	ठेकेदार को निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की विशुद्धता और पर्याप्तता और मात्रा की अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में उल्लिखित कीमतों के बारे में ठेकेदार को संतुष्ट माना जाएगा, इन दरों और कीमतों में संविदा के तहत उसकी सभी ज़िम्मेदारियाँ और काम को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें शामिल होंगी।
कार्यों का मापन	
9	बैंक का इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों को मापने की आवश्यकता है, और ठेकेदार इस तरह के माप और गणना करने में सहायता करने के लिए और सभी विवरण प्रस्तुत करने या उनमें से किसी के लिए आवश्यक सभी सहायता देने के लिए एक योग्य एजेंट को तुरंत उपस्थित करेगा या भेजेगा।
असंगत कार्य को हटाना	
10	नियोक्ता, कार्यों की प्रगति के दौरान, समय-समय पर ऐसे उचित समय या समय के भीतर कार्यों से हटाने का आदेश देने की शक्ति होगी, जैसा कि ऑर्डर में विनिर्दिष्ट किया गया है, किसी भी सामग्री के जो नियोक्ता की राय में विनिर्देशों या नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार नहीं है, उचित सामग्री का प्रतिस्थापन, और सामग्री या कारीगरी के साथ निष्पादित किसी भी कार्य को हटाने और उचित पुनः निष्पादन जो चित्र और विनिर्देशों या निर्देश के अनुसार नहीं है, ठेकेदार तुरंत अपनी लागत पर इस तरह के आदेश को पूरा करेगा। यदि ठेकेदार ऐसा आदेश पूरा करने में नाकाम रहता है, तो नियोक्ता के पास यह अधिकार होगा कि वह उस काम को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रखे और उन्हें भुगतान करे। इससे जुड़े सभी खर्च ठेकेदार को उठाने होंगे, या नियोक्ता ठेकेदार को देय या भविष्य में देय किसी भी राशि से इन खर्चों की कटौती कर सकता है।
वचुर्अल समापन के बाद दोष	
11	कोई भी दोष, संकोचन, निपटान या अन्य दोष जो परिशिष्ट में बताए गए "दोष देयता अवधि" के भीतर प्रकट हो सकते हैं, यदि कोई नहीं बताया गया है, तो कार्यों के

	आभासी समापन के 1 वर्ष के भीतर, नियोक्ता की राय के अनुसार कोई सामग्री या कारीगरी संविदा के अनुसार नहीं है, नियोक्ता के लिखित निर्देशों पर होगा, और ऐसे उचित समय के भीतर जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जाएगा, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर संशोधित और अच्छा किया जाएगा और डिफ़ॉल्ट के मामले में, नियोक्ता अन्य व्यक्तियों को ऐसे दोषों, अन्य दोषों को संशोधित करने और अच्छा करने के लिए नियुक्त और भुगतान कर सकता है, और उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान, हानि और व्यय को ठेकेदार द्वारा ठीक किया जाएगा और वहन किया जाएगा और इस तरह की क्षति, हानि और व्यय नियोक्ता द्वारा उससे वसूल किया जा सकता है या नियोक्ता द्वारा किसी भी देय धन से कटौती की जा सकती है या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है, या नियोक्ता इस तरह के संशोधन के बदले में ठेकेदार द्वारा किसी भी पैसे से कटौती कर सकता है ठेकेदार द्वारा इस तरह के काम में संशोधन की लागत के बराबर नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि और यदि प्रतिधारण राशि के तौर पर रखी गई राशि कम पड़ जाती है, तो बाकी राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी, साथ ही इससे जुड़े किसी भी खर्च की वसूली भी की जाएगी जो नियोक्ता ने किया हो। यदि कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या किसी भी उप-ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री को नियोक्ता द्वारा नामित या अनुमोदित किया गया है, जैसा कि इसके विभिन्न क्लॉज़ में बताया गया है, ठेकेदार उसी तरह से कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि ऐसा काम या सामग्री ठेकेदार द्वारा की गई थी या आपूर्ति की गई थी और इस क्लॉज़ और क्लॉज़ 2 के प्रावधानों के अधीन थी। नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते के पारित होने के बावजूद, ठेकेदार इस खंड के प्रावधान के तहत उत्तरदायी रहेगा।
वर्चुअल पूर्णता और दोष देयता अवधि का प्रमाणपत्र	
12	कार्यों को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित न कर दे कि वे लगभग पूरे हो गए हैं। दोष देयता अवधि ऐसे प्रमाणपत्र की तारीख से शुरू होगी।
व्यक्ति और संपत्ति को नुकसान के संबंध में बीमा	
13	ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोटों के लिए जिम्मेदार होगा, और संपत्ति को सभी संरचनात्मक और सजावटी क्षति के लिए जिम्मेदार होगा जो स्वयं या उसके किसी भी कर्मचारी के संचालन या उपेक्षा से उत्पन्न हो सकता है या तो, चाहे ऐसी चोट या क्षति लापरवाही, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो, किसी भी तरह से इस संविदा को पूरा करने से जुड़ा हो। इस खंड के तहत इस दायित्व को अन्य

बातों के साथ-साथ, इमारतों को कोई भी नुकसान, चाहे वह तत्काल आसन्न हो या अन्यथा, और सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों या मार्गों को होने वाले किसी भी नुकसान के साथ-साथ इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले सभी नुकसान को शामिल करने के लिए आयोजित किया जाएगा। ठेकेदार इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार होगा, जो ठंड, बारिश, हवा या मौसम की अन्य अशांति से इस संविदा की विषय वस्तु बनाते हैं। ठेकेदार, नियोक्ता को ऊपर उल्लिखित किसी भी चोट या नुकसान (चाहे वह लोगों को हो या संपत्ति को) से होने वाले सभी नुकसानों और खर्चों के लिए हर्जाना देगा और सुरक्षित रखेगा। साथ ही, ऐसी चोट या नुकसान के संबंध में किए गए किसी भी दावे (चाहे वह किसी कानून के तहत हो या अन्यथा) और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप दिए जाने वाले किसी भी मुआवज़े या हर्जाने के लिए भी नियोक्ता को सुरक्षित रखेगा। ठेकेदार को अपने खर्च पर, इस संविदा के तहत काम पूरा होने का प्रमाणपत्र जारी होने तक, एक बीमा कंपनी से 'ऑल रिस्क पॉलिसी' लेनी और बनाए रखनी होगी। यह पॉलिसी ठेकेदार और नियोक्ता के संयुक्त नाम पर होगी और इसमें ठेकेदार के लिए मानक 'ऑल रिस्क पॉलिसी' के अनुसार भूकंप और आग जैसे सभी जोखिम शामिल होंगे। काम शुरू करने से पहले ठेकेदार को यह पॉलिसी या पॉलिसियां नियोक्ता के पास जमा करनी होंगी। ठेकेदार को इस क्लॉज़ में बताए गए हर तरह के नुकसान को ठीक करना होगा, ताकि ठेकेदार का पूरा काम हर तरह से सही और पूरा हो सके और तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान के सभी दावों को पूरा किया जा सके या उनका समाधान किया जा सके। ठेकेदार नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति देता रहेगा जो किसी भी व्यक्ति/जनता के सदस्य या अन्य तीसरे पक्ष द्वारा नियोक्ता के खिलाफ की जा सकती है, जो किसी भी चीज के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है और अपने स्वयं के खर्च पर प्रभावी करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा, संविदा के पूरा होने तक, एक बीमा कंपनी के साथ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक पॉलिसी (पर्ववर्ती का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) ऐसे जोखिमों के खिलाफ। ठेकेदार भी इसी तरह नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वह कामगार प्रतिकर अधिनियम या इस संविदा की मुद्रा के दौरान लागू किसी अन्य कानून के तहत या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी या किसी उप-ठेकेदार के संबंध में सामान्य कानून में हो और अपने स्वयं के खर्च पर प्रभाव और रखरखाव करेगा, संविदा के पूरा होने तक, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित एक बीमा कंपनी

	के साथ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक नीति (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले रखा जा रहा है) ऐसे जोखिमों के खिलाफ। जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, ठेकेदार के डिफ़ॉल्ट रूप से, नियोक्ता यह सुनिश्चित कर सकता है और किसी भी देय धन से भुगतान किए गए प्रीमियम को काट सकता है या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है। ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस संविदा के लापरवाह या दोषपूर्ण निष्पादन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को अन्य सभी नुकसानों के लिए भी जिम्मेदार होगा, जो भी कारण हो सकते हैं जिनके कारण नुकसान हुआ होगा। वह कार्यों से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली सभी और किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के संबंध में और उससे उत्पन्न होने वाले मुआवजे या क्षति के किसी भी प्रदान के संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति भी करेगा। इस तरह के चूक के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि से नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए किसी भी नुकसान, मुआवजे, लागत, शुल्क और अन्य खर्चों की राशि में कटौती करने का हकदार होगा और जो इस खंड के तहत ठेकेदार द्वारा देय हैं। ठेकेदार इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता के खिलाफ किए गए किसी भी दावे के बीमाकर्ता द्वारा निपटान करने पर नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ेगा। इस घटना में इस तरह के नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी धन का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या सामान के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए व्यय के संबंध में किसी भी और भुगतान का हकदार नहीं होगा।
अधूरा काम करने पर हर्जाना	
14	यदि ठेकेदार, यहां पहले बताए गए परिशिष्ट में बताए गए समय के अंदर या नियोक्ता द्वारा लिखकर बताए गए किसी भी बढ़े हुए समय के अंदर काम पूरा नहीं कर पाता है, तो ठेकेदार, नियोक्ता को परिशिष्ट में "परिसमापन हर्जाने" के तौर पर उल्लिखित राशि उस समय के लिए देगा, जब तक काम अधूरा रहेगा और नियोक्ता ठेकेदार को

	मिलने वाले किसी भी पैसे में से ऐसे हरजाने की कटौती कर सकता है। ठेकेदार इसके द्वारा खास तौर पर सहमत है और नियोक्ता को इस संविदा के हिसाब से ठेकेदार को मिलने वाले भुगतान की किसी भी किस्त या प्रतिधारण राशि में से ऐसे परिसमापन हर्जाने, यदि कोई हो, की कटौती करने के लिए प्राधिकृत करता है।
ठेकेदार का नियोक्ता के अनुदेशों का पालन न करना	
15	यदि नियोक्ता से लिखित नोटिस मिलने के बाद, जिसमें दस दिनों के अंदर नियमों का पालन करने की ज़रूरत है, ठेकेदार ऐसी आगे की ड्राइंग्स का पालन नहीं करता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी काम को करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है, जो इसे लागू करने के लिए ज़रूरी हो, और इससे जुड़े सभी खर्च नियोक्ता ठेकेदार से कर्ज़ के तौर पर वसूल कर सकता है या ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।
नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति	
16	यदि कोई ठेकेदार (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या फर्म) दिवालियापन से जुड़ा कोई काम करता है, या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या यदि वह एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और उसके खिलाफ़ कंपनी बंद करने (वाइंडिंग अप) का अनिवार्य आदेश जारी होता है, या वह स्वेच्छा से या कोर्ट और ऑफिशियल असाइनी या लिक्विडेटर की देखरेख में कंपनी बंद करने का प्रभावी प्रस्ताव पारित करती है; और ऐसी स्थितियों में, उसे ऐसा करने के लिए नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर, वह नियोक्ता को यह उचित रूप से संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है कि वह संविदा को पूरा करने और उसके लिए ज़रूरी सिक्योरिटी (यदि नियोक्ता द्वारा मांगी जाए) देने में सक्षम है। या यदि ठेकेदार (चाहे वह कोई व्यक्ति, फर्म या इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो) ठेकेदार के खिलाफ़ प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए कोर्ट की कार्रवाई या कोई और प्रोसेस झेलता है, या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी ऋणदाता द्वारा या उसकी ओर से कुर्क किए जाने पर, या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को असाइन या सबलेट नहीं करेगा,

या इस संविदा या ठेकेदार को इसके तहत मिलने वाले किसी भी भुगतान पर कोई चार्ज या बोझ नहीं डालेगा,

या

यदि नियोक्ता यह निर्धारित करता है कि ठेकेदार

- (i) संविदा को परित्यक्त कर दिया है, या
- (ii) काम शुरू करने में नाकाम रहा है, या नियोक्ता से काम शुरू करने का नोटिस मिलने के बाद, उन शर्तों के तहत किसी कानूनी वजह के बिना 14 दिनों तक काम की प्रगति रोक दी है, या
- (iii) कार्य को उचित तत्परता से आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्य सहमत समय के भीतर पूरा हो सके, या
- (iv) लिखित नोटिस मिलने के सात दिन बाद भी कि उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, साइट से सामग्री हटाने या गिराने तथा प्रतिस्थापित करने में विफल रहा है, या
- (v) ठेकेदार को लिखित नोटिस दिए जाने के सात दिन बाद तक संविदा द्वारा पालन और निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों, मामलों या चीजों का पालन करने में लगातार उपेक्षा की गई है या विफल रहा है, जिसमें ठेकेदार को उनका पालन करने या निष्पादित करने की आवश्यकता थी।

फिर और बताए गए किसी भी मामले में, नियोक्ता किसी भी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, ठेकेदार का संविदा और देनदारियां तय कर सकता है, जो पूरी तरह से वैसे ही लागू रहेगा जैसे संविदा इस तरह तय नहीं किया गया था, और जैसे बाद में किए गए काम ठेकेदार ने या उसकी ओर से किए गए थे और इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंट या नौकरों के ज़रिए काम पर जा सकता है और एस्टेट या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सभी प्लांट, औजार, मचान, मशीनरी और सामान पर कब्ज़ा कर सकता है, और उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है या काम को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए अपने नौकरों और काम करने वालों के ज़रिए या काम पूरा करने के लिए किसी दूसरे ठेकेदार या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पर रख सकता है, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे दूसरे ठेकेदार या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पूरा करने और फिनिशिंग करने या काम के लिए सामान और प्लांट का इस्तेमाल करने से रोकने या

	रुकावट डालने के लिए कोई काम, बात या चीज़ नहीं करेगा। जब काम पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद जैसी सुविधा हो, नियोक्ता लिखित में ठेकेदार को अपनी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटाने के लिए एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार सूचना प्राप्त करने के चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता उन्हें सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और प्राप्त हुई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद नियोक्ता यह पता लगाएगा और अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में प्रमाणित करेगा कि नियोक्ता द्वारा कब्जे में लिए गए उक्त संयंत्र और सामग्री के मूल्य के लिए नियोक्ता को या उसके द्वारा क्या (यदि कुछ भी) देय होगा और नियोक्ता को पूरे किए जाने वाले कार्यों को प्राप्त करने में जो खर्च या हानि हुई है, और यदि कोई राशि ठेकेदार को देय है और वह राशि जो इस प्रकार प्रमाणित की जाएगी, उसके बाद नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो, भुगतान की जाएगी और नियोक्ता का निर्णय पार्टियों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।
प्रमाणपत्र और भुगतान	
17	95% पेमेंट काम पूरा होने के बाद बिल दिखाने/वर्चुअल पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने पर किया जाएगा। - हैंडओवर की तारीख से 1 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूरा होने पर 5%। यह राशि वारंटी अवधि के दौरान काम की मरम्मत/बदलाव/समय-समय पर जांच और निरीक्षण से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सिव्योरिटी डिपॉज़िट/रिटेंशन मनी के तौर पर रखी जाती है। यदि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के दौरान कमियों को ठीक नहीं किया जाता है, तो यह राशि पूरी या आंशिक रूप से ज़ब्त की जा सकती है।
ठेकेदार को अपने खर्च पर सब कुछ देना होगा	
18	ठेकेदार को अपने खर्च पर वे सभी चीज़ें उपलब्ध करानी होंगी जो ड्रॉइंग, मात्राओं की सूची और विनिर्देश के मकसद और अर्थ के अनुसार काम को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी हों, चाहे वे उसमें खास तौर पर दिखाई या उल्लिखित हों या नहीं, बशर्ते उनसे उचित रूप से यह अंदाज़ा लगाया जा सके। यदि कॉन्ट्रैक्टर को ड्रॉइंग में या ड्रॉइंग के बीच, मात्राओं की सूची और विनिर्देशों में कोई अंतर मिलता है, तो उसे तुरंत और लिखित रूप में नियोक्ता को बताना होगा, जो यह तय करेंगे कि किसका पालन किया जाना है। ठेकेदार इस विनिर्देश के तहत सभी काम स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियम के पूरे हिसाब से करेगा।

ऑफिस के सामान्य कामों में कोई रुकावट नहीं

19

यह प्रोजेक्ट एक ऐसी बिल्डिंग में पूरा किया जाना है जिसमें पहले से ही लोग मौजूद हैं। कॉन्ट्रैक्टर के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह सुरक्षा, धूल और ढीले मटीरियल से बचाव, शोर कम करने, बिल्डिंग में पानी और हवा के घुसने से बचाव, और बिल्डिंग के अंदर और बाहर काम की जगहों पर साफ़-सफ़ाई और व्यवस्था बनाए रखने जैसे सभी मामलों पर खास ध्यान दे और उन्हें प्राथमिकता दे। पैकेजिंग, कबाड़ का सामान और तोड़-फोड़ का मलबा रोज़ाना बिल्डिंग और साइट से तुरंत हटा दिया जाएगा।

कार्य और संपत्ति की सुरक्षा

20

ठेकेदार उन जगहों पर सभी फिनिशड फ़्लोर पर सही सुरक्षा कवर लगाएगा जहाँ काम हो रहा है। फिनिशड फ़्लोर पर या उसके ऊपर कोई भी मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लगाने की इजाज़त नहीं होगी, जब तक कि उन फ़्लोर को नियोक्ता द्वारा मंजूर तरीके से सुरक्षित न किया गया हो। ठेकेदार की वजह से बिल्डिंग फिनिश को हुए किसी भी नुकसान को नियोक्ता को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के फिर से ठीक करना होगा।

मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा

21

संविदा या काम करने से जुड़े किसी भी तरह के विवाद और मतभेद (चाहे काम चलने के दौरान हों या पूरा होने के बाद और चाहे संविदा तय होने, छोड़ने या तोड़ने से पहले हों या बाद में) नियोक्ता को भेजे जाएंगे और वही उन्हें सुलझाएगा। नियोक्ता अपना फैसला लिखकर बताएगा। ऐसा फैसला फाइनल प्रमाणपत्र या किसी और तरह से हो सकता है। किसी भी छूटे हुए मामले के बारे में नियोक्ता का फैसला आखिरी होगा। लेकिन यदि कोई भी पार्टी ऊपर बताए गए छूटे हुए मामले को छोड़कर किसी भी मामले पर खुश नहीं है, तो वह पार्टी ऐसे फैसले की सूचना मिलने के 28 दिनों के अंदर दूसरी पार्टी को लिखकर नोटिस दे सकती है कि विवादित मामलों पर मध्यस्थता किया जाए। ऐसे लिखे हुए नोटिस में उन मामलों के बारे में बताया जाएगा, जिन पर विवाद है या जिन पर मतभेद है, जिनके बारे में ऐसा लिखा हुआ नोटिस दिया गया है। यदि दोनों पार्टियां सहमत होती हैं तो इस मकसद के लिए एक ही आर्बिटर अपॉइंट किया जाएगा। यदि एक मध्यस्थ नियुक्त करने पर कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पार्टियां अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के तौर पर नामित करेंगी। पार्टियों द्वारा नामित किए गए दो मध्यस्थों एक और व्यक्ति को तीसरे मध्यस्थ के तौर पर नामित करेंगे।

जैसा भी मामला हो, मध्यस्थ या मध्यस्थों के पास, पिछले क्लॉज़ में बताए गए अपवाद वाले मामलों को छोड़कर, किसी भी प्रमाणपत्र, राय, फैसले, मांग-पत्र या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार होगा, और उन सभी विवादित मामलों को तय करने का अधिकार होगा जिन्हें मध्यस्था के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनके बारे में पहले बताए गए तरीके से नोटिस दिया गया होगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, रेफरेंस पर एंटर करने की तारीख से एक साल के अंदर (या पार्टियों की सहमति से उनके द्वारा तय किए गए किसी और बड़े हुए समय के अंदर) अपना अवॉर्ड देंगे। यदि मध्यस्था की कार्रवाई के दौरान, पार्टियां आपस में अपने विवाद या मतभेद को सुलझा लेती हैं या समझौता कर लेती हैं, तो पार्टियों द्वारा निपटान या समझौते का संयुक्त ज्ञापन फाइल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, ऐसे निपटान या समझौते के हिसाब से प्रदान देंगे।

ऐसे किसी भी रेफरेंस पर, रेफरेंस और अवार्ड से जुड़े खर्च पर फैसला, जैसा भी मामला हो, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के विवेक पर होगा, जो उसकी रकम तय कर सकते हैं या उस पर पार्टी और पार्टी के बीच टैक्स लगाने का निर्देश दे सकते हैं, और यह भी निर्देश देंगे कि उसे कौन, किसे और किस तरह से वहन करेगा और चुकाएगा।

यह सबमिशन भारतीय माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी कानूनी बदलाव के मतलब में मध्यस्था के लिए सबमिशन माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों का फैसला, जैसा भी हो, आखिरी होगा और पार्टियों पर लागू होगा। यह तय हुआ है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, सवाल या विवाद के मध्यस्थता में भेजे जाने की वजह से काम करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी सावधानी से काम करेगा और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थों का फैसला नहीं आ जाता, तब तक बैंक के फैसले को मानेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी फैसला, जैसा भी हो, ठेकेदार को काम को असल में करने के बारे में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी ज़िम्मेदारियों से राहत नहीं देगा। नियोक्ता और ठेकेदार इसके द्वारा यह भी सहमत हैं कि इस क्लॉज़ के तहत मध्यस्थता, संविदा के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक ज़रूरी शर्त होगी।

	मध्यस्थता की जगह वह सेंटर /शहर होगा जहां काम किया जा रहा है।
नियोक्ता को कामगारों को दिए गए मुआवज़े की वसूली का अधिकार है	
22	यदि किसी भी वजह से, नियोक्ता, वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट 1923 के नियम, या उसके किसी कानूनी बदलाव या फिर से लागू होने की वजह से, ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए किसी वर्कर को कम्पनसेशन देने के लिए मजबूर है, तो नियोक्ता को ठेकेदार से दिए गए कम्पनसेशन की रकम वसूलने का हक होगा, और इस एक्ट के तहत नियोक्ता के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नियोक्ता को सिक्योरिटी डिपॉज़िट से या इस संविदा के तहत या किसी और तरह से नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को दी जाने वाली किसी भी रकम से काटकर ऐसी रकम या उसका कोई भी हिस्सा वसूलने की आज़ादी होगी। नियोक्ता, ठेकेदार के लिखकर रिकेस्ट करने और नियोक्ता को उन सभी खर्चों के लिए पूरी सिक्योरिटी देने के अलावा, जिसके लिए नियोक्ता ऐसे दावे का विरोध करने के नतीजे में ज़िम्मेदार हो सकता है, उस एक्ट के तहत उसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए मजबूर नहीं होगा।
कार्यों का परित्याग	
23	यदि निविदा स्वीकार होने के बाद किसी भी समय, नियोक्ता किसी भी वजह से, पूरे काम या उसके किसी हिस्से को नहीं करवाना चाहता है, तो नियोक्ता ठेकेदार को लिखकर नोटिस देगा। ठेकेदार का पूरे काम से हुए किसी भी मुनाफ़े या फ़ायदे के लिए किसी भी तरह के मुआवज़े या किसी और चीज़ के पेमेंट का कोई दावा नहीं होगा।
गैर-प्रकटीकरण खंड	
24	ठेकेदार सीधे या इनडायरेक्टली किसी भी जानकारी, मटीरियल और बैंक के इंफ़्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/ इक्विपमेंट वगैरह के बारे में किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा, जो एग्रीमेंट के संबंध में अपनी संविदा की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान ठेकेदार के प्रोफेशन या जानकारी में आए और उसे हर समय पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखेगा। ठेकेदार संविदा की विवरण को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत ज़िम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए यह ज़रूरी हो। ठेकेदार नियोक्ता की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी विवरण पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा।

	ठेकेदार किसी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी के खुलासे की वजह से नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को हर्जाना देगा। ऊपर उल्लिखित बातों का पालन न करने को ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस एग्रीमेंट के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो। किसी भी वजह से इस एग्रीमेंट के एक्सपायर होने या खत्म होने के बाद भी, नॉन-डिस्क्लोजर और कॉन्फिडेंशियलिटी के संबंध में ठेकेदार की ज़िम्मेदारियां बनी रहेंगी।
कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम :	
25	फर्म "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूरी तरह पालन करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। क. यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई शिकायत आती है, तो शिकायत फर्म द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के सामने फाइल की जाएगी और फर्म शिकायत के संबंध में बताए गए एक्ट के तहत सही कार्रवाई पक्का करेगी। ख. बैंक के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से फ़र्म के किसी भी कर्मचारी/कर्मचारियों के खिलाफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमिटी ध्यान देगी। ग. यदि घटना में फर्म के कर्मचारी शामिल हैं, तो फर्म को किसी भी तरह के पैसे देने होंगे, जैसे कि यदि फर्म के कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न/हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत। घ. फर्म अपने कर्मचारियों को काम की जगह पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उससे जुड़े मुद्दों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगी।
विभिन्न विधियों/कानूनों के प्रावधानों का पालन:	

क. फर्म लागू लेबर कानूनों के प्रावधानों जैसे ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (और मिसलेनियस प्रोविज़न्स) एक्ट, 1952; बोनस संदाय अधिनियम, 1965; नियोक्ता लायबिलिटी एक्ट, 1938; एम्प्लॉयमेंट ऑफ़ चिल्ड्रन एक्ट, 1938, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम और/या कोई भी दूसरे नियम/विनियम और/या स्टैच्यू जो उन पर लागू हो सकते हैं और उनके तहत बनाए गए रूल्स को मानने के लिए ज़िम्मेदार होगी।

ख. संविदा के दौरान ऊपर बताए गए कानूनों, एक्ट वगैरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फर्म पूरी तरह ज़िम्मेदार होगी। बैंक को फर्म के कामों, गलतियों या कमियों के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और फर्म द्वारा काम पर रखे गए मज़दूरों के लिए किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। दी गई मज़दूरी का सबूत समय-समय पर बैंक को देना होगा।

खंड VI तकनीकी विनिर्देश

काम के दायरे में बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंज़िल पर स्विच कम सर्वर रूम से वर्कस्टेशन तक I/O पोर्ट के साथ एलएएन केबल बिछाने का पूरा निविदा शामिल है। विवरण विनिर्देश के अनुसार।

1. स्विच से वर्क स्टेशन/केबिन/यूज़र एंड आदि तक लैन पॉइंट की वायरिंग की जानी है। पूरा एलएआईएन (लैन) केबलिंग का काम पूरा करने के लिए यह ज़रूरी है और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार किया जाएगा, जैसा कि नीचे बताया गया है -

लैन कार्यों में निम्नलिखित को शामिल माना जाएगा -

- क) एलएएन केबल जो गुजरेंगे के माध्यम से दीवारें, ज़मीन स्विच रूम से वर्क स्टेशन /केबिन/नेटवर्क पॉइंट तक ।
 - ख) सभी मेटल / पीवीसी ब्लॉक, बोर्ड और बॉक्स फ्लश या सरफेस टाइप के हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो इसके लिए ज़रूरी हैं। स्विच, सॉकेट लगाना।
 - ग) सभी फिक्सिंग सामान ऐसा जैसे जोड़ने वाले, पैच कॉर्ड, क्लिप, नाखून, पेंच, फिल प्लग, रॉल प्लग, लकड़ी का प्लग, हार्डवेयर सामग्री आदि आवश्यकतानुसार
2. सामग्री: एलएएन केबलिंग में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान, फिटिंग और अप्लायंस सबसे अच्छी क्वालिटी का और अप्रूव्ड मैनुफैक्चर का होना चाहिए और जहाँ भी लेटेस्ट इंडियन विनिर्देश मौजूद हों, उनके हिसाब से होना चाहिए। निविदा देने वाले को निविदा के साथ मैनुफैक्चरर्स के नाम, उन सामान और फिक्चर की कैटेगरी वगैरह जमा करनी होगी जिनका वे इस्तेमाल करना चाहते हैं।
 3. कारीगरी : - इन विनिर्देश के अलग-अलग सेक्शन को मानने के लिए अच्छी कारीगरी और साफ़-सुथरा दिखना ज़रूरी है। काम नियमों के तहत किया जाएगा। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का एक व्यक्ति पकड़े वैध प्रमाणपत्र का क्षमता जारी किए गए द्वारा राज्य सरकार और में अनुसार साथ वैधानिक नियम और नियमों में बल। उपयुक्त भी लागू हो आई.एस.आई. आचार संहिता का पालन किया जाएगा ।
 4. लैन वायरिंग से जुड़े टर्मिनेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम योग्य और अनुभवी आईटी व्यक्ति (कुशल) द्वारा किया जाएगा। सिविल कॉन्ट्रैक्टर के साथ तालमेल बिठाकर काम को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को साइट पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे।

अतिरिक्त विशेष विवरण : -

- क) स्थापना और निर्माण के दौरान दीवारों, फर्श आदि को होने वाली किसी भी क्षति की मरम्मत ठेकेदार द्वारा मूल सतह के अनुरूप की जानी चाहिए, जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

- ख)** केवल अनुमोदित सामग्री और फिटिंग का ही उपयोग किया जाएगा। ठेकेदार को गैर-अनुमोदित सामग्री को हटाकर नई सामग्री अपने खर्च पर लगानी होगी।
- ग)** ठेकेदार बैंक के इंजीनियर की उपस्थिति में यह जांच करेगा कि सभी लैन कनेक्शन ठीक से काम कर रहे हैं और एक परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- घ)** निविदा प्रस्तुत करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदाएं प्रस्तुत करने से पहले सभी रेखाचित्रों, विनिर्देशों, शर्तों आदि का विस्तारपूर्वक अध्ययन करें और कार्य की प्रकृति और दायरे तथा कार्य निष्पादन में अपनाई जाने वाली विधि का पता लगाने के लिए स्थल का निरीक्षण करें।
- ङ)** उद्धृत दर में दीवारों और फर्श की पट्टियों में छेद करने और खांचे बनाने, उनकी मरम्मत करने और मूल सतह को बहाल करने की लागत शामिल होगी। इस मद पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- च)** आवश्यक परफॉर्मा में ठेकेदार को 'फॉर्म ऑफ़ कम्प्लीशन प्रमाणपत्र' भी जमा करना होगा।

स्थान:

निविदाकार के हस्ताक्षर सील सहित

तारीख:

खंड VII

सुरक्षा कोड/ आग सुरक्षा

1. केवल आईएसआई चिह्नित 3 नली करना प्लग और अन्य उपकरणों और उपकरणों करेगा इस्तेमाल किया गया।
2. एलएएन केबल/तार इस्तेमाल किया गया करेगा होना ठीक से मूल्यांकन और जोड़ों चाहिए होना टाला गया। यदि है, तो जोड़ सही और इंसुलेटेड होना चाहिए।
3. काम की ज़रूरत के हिसाब से, काम करने वाले लोग काम से होने वाले हेल्थ खतरों से बचने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, वेल्डर मास्क, इयर प्लग वगैरह का इस्तेमाल करेंगे।
4. कोई नहीं का मार्ग उठाना लॉबी और सीढ़ियां करेगा होना इस्तेमाल किया गया के लिए स्टैकिंग / डम्पिंग किसी भी तरह का सामान/कचरा।
5. काम साइट करेगा होना ठीक से प्रकाशित दौरान काम के दौरान, निविदा देने वाले को यह पक्का करना होगा कि धूल जमा होने से बचाने के लिए सामान/इक्विपमेंट ठीक से ढके हों।
6. सभी एलएएन केबलिंग का काम लाइसेंसड/ऑथराइज़्ड टेक्नीशियन से ही करवाना चाहिए।
7. अल्युमीनियम / इस्पात सीढ़ी चाहिए पास होना उचित रबड़ इन्सुलेशन पर आधार और जहां भी ज़रूरत हो, इन सीढ़ियों को इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग सेफ़ रबर मैट पर रखा जाएगा।
8. कोई नहीं का मार्ग पास में एसी लॉबी और सीढ़ियां करेगा होना इस्तेमाल किया गया के लिए स्टैकिंग / डम्पिंग कोई दयालु का सामग्री/अपशिष्ट।
9. सीढ़ियों के दरवाज़े आम तौर पर बंद रखे जाएंगे।
10. किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसकी तय जगह से हटाया/शिफ्ट नहीं किया जाएगा।
11. कोई मलबा आप जेनरेट हुई से काम करेगा होना एकत्र किया हुआ पर दैनिक आधार, साइट से हटाकर सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाता है।

स्थान:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

तारीख:

परिशिष्ट इसमें इसके करने के लिए भेजा

1.	दोष के देयता अवधि	आभासी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 12 महीने।
3.	प्रारंभ होने की तारीख	कार्य आदेश की तिथि से तीसरा दिन।
4.	पूरा होने की तारीख	<u>काम दो फेज़ में पूरा करना होगा: फेज़ 1: पहले फेज़ में एलएएन वायर केबलिंग का काम वर्क ऑर्डर जारी होने के तीसरे दिन से 15 दिनों के अंदर पूरा करना होगा और फेज़ 2: दूसरे फेज़ में I/O पोर्ट इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग का काम फेज़ 1 का काम पूरा होने के 30 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। काम पूरा होने में कुल समय वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख से 45 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।</u>
5.	परिसमापन हर्जाना	हर हफ़्ते संविदा अमाउंट का 0.25%, काम की कीमत का ज़्यादा से ज़्यादा 10%।
6	प्रतिधारण राशि	बिल कीमत का 5%

ठेकेदार की मुहर और हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

खंड VIII: मात्रा की बिना कीमत वाली अनुसूची

निविदा बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल पर स्विच सह सर्वर कक्ष से वर्कस्टेशन तक I/O पोर्ट के साथ एलएएन केबल बिछाने के लिए।

क्रम सं.	विवरण	मेक/मॉडल	इ का ई	मात्रा
01	65 एलएएन पॉइंट्स के लिए वायरिंग – एलएएन स्विच से वर्कस्टेशन/केबिन तक एलएएन पॉइंट के लिए वायरिंग सप्लाय और बिछाना, इसके लिए एफ़आरएलएस पीवीसी मीडियम ड्यूटी/ कंड्यूट/पीवीसी केसिंग में सीएटी 6 वायर का इस्तेमाल पिलर/दीवार/बीम पर और मौजूदा रेस वे और वर्कस्टेशन स्लॉट से होकर किया जाएगा।	पीवीसी कंडिट – प्रेसिजन/एकेजी/ सैंको /किंजल या समकक्ष	सं ख्या	120
02	65 आरजे-45 सीएटी 6 E एलएएन I/O नेटवर्क कीस्टोन जैक देना और सप्लाय करना।	डी लिंक/ लेग्रैंड	सं ख्या	120
03	स्विच साइड पैच पैनल (प्रत्येक 24 पोर्ट) एलएएन वायर को दोनों सिरों पर खत्म करना (i/o एंड सीएटी 6 वायर पंचिंग और एलएएन स्विच एंड को RJ45 मेल कनेक्टर को	डी लिंक/ लेग्रैंड	सं ख्या	05

	क्रिम्प करके और ठीक से टैग करके, आइटम नंबर 1 और 2 के लिए टेस्टिंग और कमीशनिंग के साथ पूरा करना)			
04	2 मीटर लंबाई का पैच कॉर्ड सप्लाय कर रहे हैं (सिर्फ कंपनी का बना हुआ)	डी लिंक/ लेग्रेड	सं ख्या	240

अनुलग्नक I

व्यावसायिक जांच सूची (भाग I के साथ भरकर जमा करना होगा।)

निविदा बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंजिल पर स्विच सह सर्वर कक्ष से वर्कस्टेशन तक I/O पोर्ट के साथ एलएएन केबल बिछाने के लिए।

क्रमांक	विवरण	बैंक का शर्तें	स्वीकार या अन्यथा का बैंक की शर्तें	
1.	वैधता	90 दिन	हां नहीं	
2.	ईएमडी	₹10,100/- (केवल दस हजार और एक सौ रुपये) भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के खाता संख्या 186003001 और आईएफ़एससी – RBIS0BBPA01, आरबीआई, भुवनेश्वर में (केवल एनईएफटी द्वारा) एनआईटी में दी गई तारीख को या उससे पहले जमा किया जाना है। ईएमडी प्रस्तुत करने का प्रूफ एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बिडर्स को यह भी सूचित किया जाता है कि वे पेमेंट का प्रूफ ट्रांज़ैक्शन नंबर (स्कैन की हुई कॉपी) के साथ ऑफिशियल ईमेल आईडी: "डीआईटी, भुवनेश्वर" <ditbhubaneswar@rbi.org.in > पर 14 अगस्त 2026 को 15:00 बजे या उससे पहले भेज दें। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।	सहमत/ सहमत नहीं	
3.	भुगतान की शर्तें	हैंडओवर की तारीख से 1 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूरा होने पर 5%। यह रकम वारंटी पीरियड के दौरान रिपेयर/रिप्लेसमेंट/काम के समय-समय पर चेक और इंस्पेक्शन से जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने के	स्वीकार्य / स्वीकार्य नहीं	

		लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट/रिटेंशन मनी के तौर पर रखी जाती है। यदि दोष निवारण अवधि के भीतर दोषों का निवारण नहीं किया जाता है, तो यह राशि पूरी तरह/आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है।		
4.	राशि/मूल्य	- यह संविदा की पूरी अवधि के दौरान स्थिर रहेगा। - संविदा अवधि के दौरान सभी कर, शुल्क, प्रभार और चुंगी शुल्क इसमें शामिल होंगे।	हां/ नहीं	
5.	दोष देयता अवधि	सौंपे जाने की तिथि से 12 महीने	हां / नहीं	
7.	समापन अवधि	<u>काम दो फेज़ में पूरा करना होगा: फेज़ 1: पहले फेज़ में एलएएन वायर केबलिंग का काम वर्क ऑर्डर जारी होने के तीसरे दिन से 15 दिनों के अंदर पूरा करना होगा और फेज़ 2: दूसरे फेज़ में I/O पोर्ट इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग का काम फेज़ 1 का काम पूरा होने के 30 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। काम पूरा होने में कुल समय वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख से 45 दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए।</u>	स्वीकार्य / स्वीकार्य नहीं	
8.	परिसमापन हर्जाना	हर हफ़्ते संविदा अमाउंट का 0.25%, काम की कीमत का ज़्यादा से ज़्यादा 10%।	स्वीकार्य / स्वीकार्य नहीं	
9	बीमा	टेस्टिंग और कमीशनिंग वगैरह सहित सभी रिस्क पॉलिसी शामिल होगी।	हां / नहीं	

मैं/हम ऊपर दी गई सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं।

स्थान:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील

तारीख:

अनुलग्नक - II

अनुमोदित मेक ऑफ मटीरियल की सूची

(बोलीदाता द्वारा भरा जाना है और भाग - I के साथ जमा किया जाना है।)

क्रमांक	वस्तु का नाम	अनुमोदित मेक	ठेकेदार द्वारा पेश किए गए मेक
1	पीवीसी नाली और आवरण कैपिंग	प्रेसिजन/एकेजी/ सैंको /किंजल या समकक्ष	
2	लैन आई/ओ सॉकेट और जैक	डी लिंक/ लेग्रैंड	
3	लैन केबल और पैच कॉर्ड (सिर्फ कंपनी में बना हुआ)	डी लिंक/ लेग्रैंड	
4	स्विच साइड पैच पैनल	डी लिंक/ लेग्रैंड	

नोट: कॉन्ट्रैक्टर को अपने द्वारा ऑफ़र किए गए मटीरियल के मेक (ब्रांड/निर्माता) के बारे में बताना होगा। यदि ऐसा नहीं बताया जाता है, तो मेक का चुनाव बैंक करेगा।

ठेकेदार का नाम और पता:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

दिनांक

: स्थान:

अनुलग्नक - III

ग्राहकों की सूची के लिए प्रोफार्मा

(जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में समान दायरे वाले काम पूरे किए हैं और जो न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं)।

[इस अनुलग्नक की स्कैन्ड प्रति (पीडीएफ़ फॉर्मेट में) भरकर निविदा के साथ अपलोड करें]

क्रमांक	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)
1	नाम, पता, फ़ैक्स और टेलीफ़ोन नंबर			
2	प्रोजेक्ट का नाम, स्थान और पता			
3	कार्य का संक्षिप्त विवरण			
4	पूर्ण हुए कार्य का मूल्य			
5	संविदा प्रदान करने की तिथि			
6	कार्य पूरा होने की तिथि			
7	क्या काम आर्किटेक्ट/कंसल्टेंट के अंडर किया गया था, यदि हाँ, तो विवरण			

(3 से ज़्यादा ग्राहक होने पर और कॉलम जोड़ें)

अनुलग्नक IV

आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट

[कार्य आवंटित होने पर सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है]

(100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर)

आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट को एक पक्ष के भारतीय रिज़र्व बैंक, (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) और दूसरे पक्ष के _____ (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) के बीच _____ के दिन बनाया गया।

जबकि बैंक "स्विच कम सर्वर रूम से बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंज़िल पर वर्कस्टेशन तक I/O पोर्ट के साथ एलएएन केबल बिछाने" का काम करना चाहता है और काम के बारे में बताने वाले विनिर्देश जारी किए हैं।

और जबकि बताए गए विनिर्देश, काम का दायरा, मात्राओं का शेड्यूल, पार्टियों की तरफ से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और चूंकि निविदाकर्ता ने उक्त कार्य को यहां निर्धारित शर्तों और संविदा की विशेष शर्तों तथा मात्रा-अनुसूची और संविदा की शर्तों में निर्धारित शर्तों के अनुसार निष्पादित करने पर सहमति व्यक्त की है, जैसा कि दोनों पक्षों द्वारा संशोधित और अंततः स्वीकृत किया गया है (जिन सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" कहा गया है), बैंक की उक्त आवश्यकता पर दिखाए गए और/या उक्त विनिर्देशों में वर्णित तथा मात्रा-अनुसूची में शामिल कार्यों को उसमें निर्धारित संबंधित दरों पर निष्पादित करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसकी राशि उसमें निर्धारित राशि या उसके तहत देय होने वाली ऐसी अन्य राशि के बराबर है (जिसे इसके बाद "उक्त संविदा राशि" कहा गया है)।

अब यह निम्नानुसार सहमति व्यक्त की गई है –

1. उल्लिखित शर्तों में बताए गए समय और तरीके से पेमेंट की जाने वाली संविदा की रकम के बदले, निविदा देने वाला, उल्लिखित शर्तों के तहत, उल्लिखित विनिर्देश और मात्रा के शेड्यूल में दिखाए गए और बताए गए काम को पूरा करेगा।
2. नियोक्ता निविदाकर्ता को उक्त संविदा राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय और तरीके से देय हो जाएगी।
3. उक्त शर्तें और उनका परिशिष्ट इस समझौते का हिस्सा माने जाएंगे और इसमें शामिल पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, उनके प्रति प्रतिबद्ध होंगे और उक्त शर्तों में निहित अपने-अपने समझौतों का निष्पादन करेंगे।
4. इसमें उल्लिखित विनिर्देश, दंड संबंधी खंड, समझौता और दस्तावेज इस संविदा का आधार बनेंगे।
5. यह संविदा इस तरह माना जाएगा - "बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर की दूसरी मंज़िल पर स्विच कम सर्वर रूम से वर्कस्टेशन तक I/O पोर्ट के साथ एलएएन केबल बिछाना। "
6. निविदा देने वाला, एलएएन केबलिंग, इंस्टॉलेशन, फिटिंग, टेस्टिंग और दूसरे सहायक कामों से जुड़े सभी कामों को उल्लिखित शर्तों के अनुसार करने के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा, और ऐसे काम पूरे होने के बाद दीवारों, फर्श वगैरह को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।
7. नियोक्ता के पास यह अधिकार है कि वह संविदा के दौरान किसी भी समय, बिना किसी नुकसान के, काम के किसी भी आइटम को जोड़कर या हटाकर या उसके कुछ हिस्सों को करवाकर, काम की प्रकृति और ड्राइंग को बदल सकता है।
8. इस संविदा में समय को एक अहम कारक माना जाएगा और निविदा भरने वाला व्यक्ति काम को दो चरणों में पूरा करने के लिए सहमत है: चरण 1: लैन (एलएएन) वायर केबलिंग का काम वर्क ऑर्डर जारी होने के तीसरे दिन से 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा और चरण 2: I/O पोर्ट इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग का काम चरण 1 का काम पूरा होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। काम पूरा होने का कुल टाइम वर्क ऑर्डर जारी होने की तारीख से 45 दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर भी टाइम बढ़ाने के नियम लागू होंगे।
9. इस संविदा के तहत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान सिर्फ भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में किए जाएंगे।

10. इस करार से जुड़े या किसी भी तरह से होने वाले सभी विवाद भुवनेश्वर में ही माने जाएंगे और उन्हें तय करने का अधिकार सिर्फ भुवनेश्वर की न्यायालयों के पास होगा।

11. इस संविदा के कई हिस्से निविदा देने वाले ने पढ़ लिए हैं और उन्हें पूरी तरह समझ लिया है।

यदि ठेकेदार पार्टनरशिप या कोई व्यक्ति है

इसके प्रमाण के तौर पर, बैंक और ठेकेदार ने इस दस्तावेज़ और इसकी दो प्रतियों पर ऊपर लिखी तारीख और साल को अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

यदि ठेकेदार कोई कंपनी है

इसके प्रमाण के तौर पर, बैंक ने अपने अधिकृत अधिकारी के ज़रिए इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं और ठेकेदार ने अपनी कॉमन सील (आधिकारिक मुहर) इस पर लगवाई है। साथ ही, ठेकेदार ने अपनी ओर से इस दस्तावेज़ और इसकी दो प्रतियों को निष्पादित करवाई है, उस दिन और वर्ष को जो सबसे ऊपर लिखा गया है।

तारीख: 2026 का ____ दिन।

मेसर्स _____ के लिए और उसकी ओर से

(हस्ताक्षर मुहर सहित)

नाम _____

पद नाम _____

स्थान _____

तारीख _____

(ऊपर बताए गए साइन करने वाले के पावर ऑफ़ अटॉर्नी की प्रमाणित सत्य प्रति साथ में लगानी होगी)।

गवाह

(1) हस्ताक्षर के साथ _____

नाम, पता और दिनांक _____

(2) हस्ताक्षर के साथ

नाम, पता और दिनांक

अनुलग्नक- V

ग्राहक का प्रमाणपत्र और ठेकेदार का परफॉर्मेंस

[इस अनुलग्नक की स्कैन प्रति (पीडीएफ फॉर्मेट में) भरकर निविदा के साथ अपलोड करें]

ग्राहक का नाम और पता

श्री/मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

- 1 काम का नाम और उसका संक्षिप्त विवरण ब्यौरा
 - 2 संविदा संख्या और दिनांक
 - 3 करार की राशि
 - 4 कार्य शुरू करने की तारीख
 - 5 पूरा होने की निर्धारित तिथि
 - 6 पूरा होने की वास्तविक तिथि
 - 7 देरी के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि बताएं) यदि कोई हो
 - 8 पूरे किए गए और चुकाए गए काम की कुल राशि
 - 9 उस प्राधिकरण का नाम और पता जिसके अधीन कार्य निष्पादित हुआ
-
- 1 क्या ठेकेदार ने काम पूरा करने के दौरान योग्य इंजीनियर/ओवरसियर को काम पर रखा
 - 0 था?
 - 1 i) काम की गुणवत्ता (ग्रेडिंग बताएं) उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/
 - 1 अच्छा/संतोषजनक/खराब
 - ii) कम दर पर दिए गए काम की राशि, यदि कोई हो।

1 i) क्या ठेकेदार ने मध्यस्थता के लिए गया?

2

ii) यदि हाँ, तो कुल राशि दावा

iii) प्रदान की गई कुल राशि

1 ठेकेदार की काबिलियत पर टिप्पणी

3

क) तकनीकी प्रवीणता

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/

अच्छा/संतोषजनक/खराब

ख) वित्तीय सुदृढ़ता

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/

अच्छा/संतोषजनक/खराब

ग) पर्याप्त टी एंड पी जुटाना

उत्कृष्ट/बहुत

अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

घ) श्रमबल जुटाना

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/

अच्छा/संतोषजनक/खराब

ई) सामान्य व्यवहार

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/

अच्छा/संतोषजनक/खराब

नोट: सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए और उन पर काउंटरसाइन होना चाहिए

अनुलग्नक - VI

बैंकर्स प्रमाणपत्र का प्रारूप

[इस अनुलग्नक की स्कैन प्रति (पीडीएफ़ फॉर्मेट में) भरकर निविदा के साथ अपलोड करें]

क्रमांक	उल्लेख	विवरण
1	फर्म की संरचना (क्या पार्टनरशिप/ प्राइवेट लिमिटेड/ प्रोप्राइटरशिप/ पब्लिक लिमिटेड)	
2	फर्म के मालिक/पार्टनर/डायरेक्टर का नाम	
3	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में फर्म का कारोबार (टर्नओवर) (साल के हिसाब से)	
	2025-26	
	2024-25	
	2023-24	
4	फर्म को मिलने वाली क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा	
5	लेन-देन (डीलिंग)	
6	वह समय जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है	
7	कोई अन्य टिप्पणी	
8	₹5.05 लाख के अनुमानित खर्च वाले काम की संविदा देने के लिए वित्तीय रूप से ठीक माना जाता है।	

(हस्ताक्षर)

बैंक के लिए

नोट:

बैंकर प्रमाणपत्र बैंक के पत्र शीर्ष पर होना चाहिए, जो महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय के नाम पर होना चाहिए।

पार्टनरशिप फर्म के मामले में, प्रमाणपत्र में बैंक में रिकॉर्ड किए गए सभी पार्टनर्स के नाम होने चाहिए।

अनुलग्नक – VII

फर्म के ऑफर किए गए मेक और सर्विस सेटअप का विवरण

[इस अनुलग्नक की स्कैन्ड प्रति (पीडीएफ़ फॉर्मेट में) भरकर निविदा के साथ अपलोड करें]

विनिर्देश को स्वीकार किया और निविदा में बताए अनुसार काम करने पर सहमति दी। सर्विस सेट-अप की विवरण नीचे दी गई हैं :

भुवनेश्वर में सर्विस सेटअप की जानकारी		
क	पता	
ख	टेलीफोन नंबर	
ग	फैक्स नंबर	
घ	मेल आईडी	
ङ	संपर्क व्यक्ति (नाम और मोबाइल नंबर)	

1. कृपया ऊपर बताए गए कार्यालय के विवरण साफ़-साफ़ बताएं, जहां से भुवनेश्वर में प्रस्तावित यूनिट्स के लिए सेवा दी जाएगी।
2. जहां भी ज़रूरत हो, कृपया अतिरिक्त शीट संलग्न करें।

ठेकेदार की मुहर और हस्ताक्षर

अनुलग्नक - VIII

काम को समझने के लिए निविदा भरने वाले द्वारा साइट का दौरा करने के संबंध में वचन-पत्र

[इस अनुलग्नक की स्कैन्ड प्रति (पीडीएफ़ फॉर्मेट में) भरकर निविदा के साथ अपलोड करें]

सेवा में,

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

भारतीय रिज़र्व बैंक

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

भुवनेश्वर

प्रिय महोदय,

“स्विच सह सर्वर रूम से बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर के दूसरी मंज़िल में वर्कस्टेशन तक I/O पोर्ट के साथ एलएएन केबल बिछाना।”

हम, _____, ऊपर दिए गए काम के लिए निविदा कार, यह पुष्टि करते हैं कि हमने साइट देखी है और मौजूदा सिस्टम, अभी काम कर रहे सिस्टम और प्रस्तावित सिस्टम के काम के स्कोप के सही विवरण समझ लिए हैं। हम इस निविदा के हिसाब से प्रस्तावित काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और नए सिस्टम के लिए सर्विस सपोर्ट देने के लिए भी तैयार हैं।

तारीख:

(कंपनी का नाम और पता, कंपनी की सील के साथ)



सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

भुवनेश्वर

(इवेंट संख्या: _____)

(भाग II)

मूल्य बोली

निविदा कार का नाम

पता

भाग - II (मूल्य बोली)

कार्य का नाम: स्विच कम सर्वर रूम से बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भुवनेश्वर के दूसरी मंज़िल पर वर्कस्टेशन तक I/O पोर्ट के साथ एलएएन केबल बिछाने के लिए निविदा ।

क्रम सं.	विवरण	मेक/मॉडल	इ का ई	मात्रा
01	65 एलएएन पॉइंट्स के लिए वायरिंग – एलएएन स्विच से वर्कस्टेशन/केबिन तक एलएएन पॉइंट के लिए वायरिंग सप्लाय और बिछाना, इसके लिए एफ़आरएलएस पीवीसी मीडियम ड्यूटी/कंड्यूट/पीवीसी केसिंग में सीएटी 6 वायर का इस्तेमाल पिलर/दीवार/बीम पर और मौजूदा रेस वे और वर्कस्टेशन स्लॉट से होकर किया जाएगा।	पीवीसी कंडिट – प्रेसिजन/एकेजी/ सैंको /किंजल या समकक्ष	सं ख्या	120
02	65 आरजे-45 सीएटी 6 आई एलएएन I/O नेटवर्क कीस्टोन जैक देना और सप्लाय करना।	डी लिंक/ लेग्रांडे	सं ख्या	120
03	स्विच साइड पैच पैनल (प्रत्येक 24 पोर्ट) एलएएन (लैन) वायर को दोनों सिरों पर खत्म करना (i/o एंड सीएटी 6 वायर पंचिंग और लैन स्विच एंड को आरजे45 मेल	डी-लिंक / लेग्रांडे	सं ख्या	05

	कनेक्टर को क्रिम्प करके और ठीक से टैग करके, आइटम नंबर 1 और 2 के लिए टेस्टिंग और कमीशनिंग के साथ पूरा करना)			
04	2 मीटर लंबाई का पैच कॉर्ड सप्लाय करना	डी लिंक/ लेग्रांडे	सं ख्या	240

- दी गई दरों में सभी लागू कर, स्थापना, चालू करने, परीक्षण आदि शामिल हैं।
- कोटेशन देने से पहले साइट निरीक्षण ज़रूर किया जाना है।
- दरें केवल बैंक के प्रोफार्मा के 'भाग II' (Part II) में ही बताई जानी चाहिए, न कि अपलोड किए गए किसी अन्य दस्तावेज़ पर; ऐसा न करने पर जमा की गई बोली (बिड) को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

दिनांक:

निविदाकार का हस्ताक्षर मुहर के साथ

स्थान: